

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशी

बनाम

जनसीराम

तारीख हुकम

63/2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

03/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा यही निवेदन किया गया कि मंगली के वारिसान की समुचित जाँच किये बिना एवं उसके समस्त विधिक वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया गया है, जिसके प्रतिउत्तर में रेस्पो. के अधिवक्ता ने मंगली के विधिक वारिसान की जाँच करते हुए उनके रिकार्ड पर लिये जाने के सन्दर्भ में अपनी अनापत्ति जाहिर की। चूँकि अपीलार्थी द्वारा मंगली के विधिक वारिसान की जाँच कर समस्त विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने के अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय के सन्दर्भ में अन्य कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/02/2024 को यथावत रखते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मंगली के विधिक वारिसान की जाँच कर उसके कायम मुकामान में संशोधन करते हुये मंगली के समस्त विधिक वारिसान का नाम मंगली के स्थान पर अंकित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।